श्री गणपति शिक्षण एवं सेवा संस्थान द्वारा संचालित

उत्कर्ष महाविद्यालय

उत्कर्ष टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज

सन्दलाई बड़ी, सज्जनगढ़, बांसवाड़ा (राज.)

Mob.: 9828177604, 8306878902, 8875071738

।। सरस्वती वंदना ।।

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृताया
वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना।
या ब्रह्माच्युत शंकरप्रभृतिभि र्देवैः सदा वन्दिता
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषज्ञाडयापहा

शुक्लां ब्रह्मविचार सार परमामाद्यां
जगद्व्यापिनींवीणापुस्तकधारिणीमभयदां।
जाडयान्धकारापहाम्हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं
पद्मासने संस्थिताम्वन्दे तां परमेश्वरीं
भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्॥ 2 ॥

ब्रह्माण्ड में ईश्वरीय शक्ति के बाद

कोई सर्वाधिक ताकतवर है

तो वह ईमानदारी से

उत्पन्न निर्भीकता है।

हमारा वर्तमान ही

भविष्य का निर्माता है।

व्यक्ति जो कुछ है वह सिर्फ

अपने कर्मों का फल है।

इसलिए नीयत में पवित्रता के

साथ अपना रिश्ता बनाये रखिए।

– स्वामी विवेकानन्द

अनुक्रमणिका

1. स्मरण एवं प्रार्थना
2. संदेश
3. प्रवेश-प्रक्रिया व नीति
4. महाविद्यालय द्वारा संचालित सुविधाएं
5. परीक्षा परिणाम
6. कक्षा एवं विषय
7. शुल्क सम्बन्धी विशेष नियम
8. नियम, वाचनालय, यात्रा कन्सेशन
9. पाठ्येत्तर गतिविधियां
10. आचार संहिता एवं नियमावली

श्री गणपति शिक्षण एवं सेवा संस्थान द्वारा संचालित

उत्कर्ष महाविद्यालय एवं उत्कर्ष टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज

सन्दलाई बड़ी, सज्जनगढ़, बांसवाड़ा (राज.)

Mob.: 9610692369, 9571886576, 7665699801

भारतीय स्मरण

या कुन्देन्दुतु ाारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता,
या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या वेत पद्मासना।
या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता,
सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःजे ाजाड्यापहा।

गुरू वंदन

गुरूर्ब्रह्मा, गुरूर्विष्णुः गुरूर्देवो महेश्वरः।
गुरू साक्षात् परम् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।।

ध्यानमूलं गुरू मूर्तिः पूजामूलं गुरामें पदम्।
मन्त्रमूलंगुरोर्वाक्यम्, मोक्षमूलंगुरोः कृपाः।।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तुः मां कश्चित दुःख भाग भवेत्।।

ॐ सहनाववतु, सहनो भुनक्तु सः वीर्य करावह है।
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषाव है।।

ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय।
मृत्योर्मां अमृतंगमय, ॐ शांतिः! ॐ शांतिः!! ॐ शांतिः!!!

संदेश

मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि श्री गणपति शिक्षण एवं सेवा संस्थान द्वारा संचालित उत्कर्ष महाविद्यालय एवं उत्कर्ष टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, सज्जनगढ़, बांसवाड़ा ग्रामीण क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं की वैश्विक जरूरतों उनकी ज्ञान पिपासा, उनके सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये सतत् प्रयत्नशील है। यह महाविद्यालय मिशन के रूप में आजीवन सीखने की प्रवृत्ति का विकास करता है एवं सभी को निष्पक्ष समान अवसर प्रदान करते हुये अपने व्यक्तित्व के निर्माण के अवसर प्रदान करता है। महाविद्यालय छात्राओं के व्यक्तित्व विकास, आधुनिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ाने, अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करने, सामाजिक कल्याण, सामाजिक चेतना, भारतीय मूल्यों को सीखने का माहौल प्रदान करता है।

महाविद्यालय के इस प्रांगण में छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु सामाजिक/सांस्कृतिक गतिविधियां यथा प्रश्नोत्तरी, वाद-विवाद, विषय-विशेषज्ञों एवं प्रबुद्ध व्यक्तियों के व्याख्यान, सेमीनार का आयोजन किया जाता है। यहाँ कि एन.एस.एस., शैक्षिक पर्यटन, सामुदायिक सेवा आदि गतिविधियाँ उल्लेखनीय है एवं छात्राओं के श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करने में सक्षम है।

मुझे आशा है कि महाविद्यालय की छात्र वं छात्राएँ यहाँ अपने सपनों को साकार करेंगी एवं अनुभवी प्रवक्ताओं, विषय विशेषज्ञों एवं कर्मचारियों का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुये संस्थान का नाम रोशन करेंगी और अपनी वैश्विक जरूरतों व जीविकोपार्जन में सफलता प्राप्त करते हुये खुशहाल जीवन-यापन करेंगी।

अध्यक्ष
उत्कर्ष महाविद्यालय एवं उत्कर्ष टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज
सज्जनगढ़, बांसवाड़ा

संदेश

प्रिय अभिभावकगण एवं छात्र-छात्राओं,

इस सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं का श्री गणपति शिक्षण एवं सेवा संस्थान द्वारा संचालित उत्कर्ष महाविद्यालय एवं उत्कर्ष टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, सज्जनगढ़, बांसवाड़ा में आपका स्वागत एवं अभिनन्दन। यह आपका परम सौभाग्य है कि आपको महाविद्यालय में प्रवेश लेने एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर मिला है। अत: आपको इस अवसर का पूर्ण लाभ उठाकर अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। महाविद्यालय की सफलता व यश आपकी सफलता पर ही निर्भर है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि महाविद्यालय की प्रत्येक छात्रा अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के साथ-साथ महाविद्यालय की गरिमा को बढ़ाने में प्रयत्नशील रहेगी।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अनुशासित रहकर महाविद्यालय की समस्त गतिविधियों में सक्रिय योगदान प्रदान करेंगें।

समस्त छात्राओं से अनुरोध है कि वे इस महाविद्यालय को अपना परिवार समझें, अपनी समस्याओं के समाधान हेतु अनुशासित तरीके स प्राचार्य व व्याख्याताओं से सम्पर्क स्थापित करें। महाविद्यालय की विवरणिका को ध्यान से पढ़े एवं नियमों की निष्ठापूर्वक अनुपालना करें।

अभिभावकों से विनम्र आग्रह है कि छात्रा की चहुँमुखी उन्नति के लिए हर सम्भव प्रयास करते हुए समय-समय पर महाविद्यालय आकर छात्रा की प्रगति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। छात्रा की उत्तरोत्तर प्रगति से आपको अवगत कराते हुये हमें हार्दिक प्रसन्नता होगी।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके सहयोग से छात्रा उन्नति पथ पर अवश्य अग्रसर होगी।

सचिव
उत्कर्ष महाविद्यालय एवं उत्कर्ष टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज
सज्जनगढ़, बांसवाड़ा

संदेश

प्रिय विद्यार्थी,

इस नवीन सत्र में महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति, प्राध्यापक एवं समस्त कर्मचारी महाविद्यालय की प्रतिष्ठा एवं परम्परा सहित आपका महाविद्यालय में स्वागत करते है ।शिक्षा व्यक्ति को मानव बनाती है ।यह व्यक्ति के जीवन को परिष्कृत एवं सुसंस्कृत बनाने का एकमात्र माध्यम है ।शिक्षाविहीन पुरूष बिना पूंछ के पशु की भांति हमारे संस्कृत ग्रंथों में बताया गया है ।यह शिक्षा ही है, जो उसे अज्ञान, अंधकार, जड़ता एवं शुद्रता से दूर ले जाती है ।कहा भी गया है 'विद्या ददाति विनय'। विद्या ही मनुष्य को विनयशील बनाती है और विनयशील मनुष्य ही सुसंस्कृत समाज का निर्माण करता है ।

वर्तमान संदर्भों में शिक्षा का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, विशेष रूप से उच्च शिक्षा का ।उच्च शिक्षित मनुष्य ही समाज का दिशा-निर्देशन करता है ।उच्च-शिक्षित मनुष्य ही समाज के मापदण्डों को निर्धारित करता है । समाज का आचरण वही होगा, जो उच्च-शिक्षित मनुष्य का होगा ।

उच्च शिक्षा अध्ययन के भी हजारों केन्द्र है, किन्तु संस्कार सहित उच्च-शिक्षा ही सच्चे अर्थों में उच्च-शिक्षा है ।यह महाविद्यालय न केवल वागड़ वरन राजस्थान के महत्वपूर्ण उच्च-शिक्षा संस्थानों में अपना स्थान बनाने हेतु प्रतिबद्ध है ।इस महाविद्यालय ने अपनी गौरवमयी परम्परा, संस्कारों और योग्यतम स्टॉफ को इसके लिए आधार बनाया है ।इस महाविद्यालय में प्रवेश के बाद ही छात्र परम्पराओं और संस्कारों के साथ उच्च शिक्षा को ग्रहण करता है, जो सच्चे अर्थों में उच्च-शिक्षा है ।शिक्षा मात्र किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, वरन् इसके साथ ऐसे अनेको तत्व हैं, जो शिक्षा में सहायक होते है, जैसे खेलकूद, व्यायाम, पाठ्येत्तेर सांस्कृतिक गतिविधियाँ, मानवमूल्य इत्यादि ये सब इस महाविद्यालय के महत्वपूर्ण अंग है ।

वर्तमान युग प्रतियोगिता एवं व्यवसायिकता का है। इस युग में वही छात्र सफल हो सकता है, जिसने प्रतियोगिता को लक्ष्य बनाकर उच्च-शिक्षा प्राप्त की हो ।चाहे राजनीतिक जीवन हो, सामाजिक या आर्थिक जीवन हो, वही छात्र उसमें सफल हो सकता है, जिसने नवीनतम तकनीक से शिक्षा प्राप्त की हो ।यह महाविद्यालय वर्तमान संदर्भों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा प्रदान कर रहा है ।

विद्यालय से महाविद्यालय में आपका आगमन आपके उत्तरदायित्वों को बढ़ाता है ।आपसे अपेक्षा है कि आप अनुशासन, नियमितता और कुशल गुरूजनों के प्रति श्रद्धा को अपना मूलमंत्र बनायेंगे और कुशल गुरूओं के निर्देशन में अपनी छिपी प्रतिभा को बाहर निकालकर स्वयं एवं समाज का सार्थक एवं सृजनात्मक विकास करेंगे । अपना एवं संस्था का नाम न केवल राष्ट्रीय अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करेंगे ।इसके लिए मैं आपको हार्दिक शुभकामनायें देता हूँ और आशा करता हूँ कि महाविद्यालय में आपका प्रवेश सुखद और स्मरणीय रहें ।

प्राचार्य
उत्कर्ष महाविद्यालय एवं उत्कर्ष टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज
सज्जनगढ़, बांसवाड़ा

प्रवेश-प्रक्रिया

कॉलेज की सभी कक्षाओं हेतु प्रवेश कार्य आरम्भ हो गया है। प्रवेश की अन्तिम तिथि आयुक्त, कॉलेज शिक्षा द्वारा तय होगी। उसके उपरान्त प्रवेश विलम्ब शुल्क सहित निदेशक, कॉलेज के निर्देशानुसार होंगे। यदि विश्वविद्यालय का परीक्षा परिणाम महाविद्यालय खुलने की तिथि तक घोषित नहीं होता है तो ऐसे छात्र परिणाम निकलने के 15 दिन की अवधि में प्रवेश ले लेवे।

पूरक परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को अगली कक्षा में प्रवेश अन्तिम तिथि से पूर्व ही लेना होगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने की प्रतीक्षा महाविद्यालय नहीं करेगा। प्रवेश के लिए विवरणिका एवं प्रवेश आवेदन-पत्र कॉलेज कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। प्रत्येक कार्य दिवस पर विवरणिका एवं आवेदन-पत्र प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक 50/- रुपये का भुगतान कर प्राप्त किये जा सकेंगे।

1. प्रवेशार्थी आवेदन पत्र का ध्यान से अध्ययन कर वांछित पूर्तियां, सही तथ्यों एवं प्रमाण-पत्रों के आधार पर भरेंगे। किसी भी कॉलम को अधूरा न छोड़ें। सम्बन्धित न होने पर कॉलम में क्रॉस (X) लगा दें।
2. वांछित स्थानों पर प्रवेशार्थी एवं पिता/संरक्षक के स्पष्ट एवं पूरे हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। हस्ताक्षर नहीं होने पर आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा।
3. प्रवेश पत्र एवं परिचय पत्र पर आवश्यकतानुसार श्वेत-श्याम (Black & White) फोटो जो छः माह से अधिक पुराना न हो। (चिपकाना आवश्यक है, पिन से लगा फोटो मान्य नहीं होगा)
4. आवश्यक अंकतालिका, प्रमाण-पत्र एवं उपाधि-पत्र मूल एवं सत्यापित प्रतिलिपियों सहित जमा करवायें।

संलगन प्रतियाँ व मूल दस्तावेज :-

अंकतालिका व प्रमाण-पत्र

1. सैकेण्डरी स्कूल प्रतिलिपि।
2. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की प्राप्तांक सूची की तीन सत्यापित प्रतिलिपियां।
3. अन्य किसी विशिष्ट परीक्षा या योग्यता प्रमाण-पत्र प्रतिलिपि।
4. सेवारत अध्यापन/कर्मचारी का विभागीय स्वीकृति पत्र या कार्यमुक्ति प्रमाण-पत्र मूल।
5. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा इस आशय के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की सत्यापित फोटो प्रति।
6. विवाह प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि।(अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी)
7. विकलांग छात्र का अधिकृत चिकित्सक का प्रमाण-पत्र प्रतिलिपि(मय विकलांगिक-अंग एवं प्रतिशत सहित)

7. विधवा या परित्यक्ता महिला द्वारा सक्षम न्यायालय का प्रमाण-पत्र।
8. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान व उदयपुर विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य शिक्षा बोर्ड या विश्व विद्यालय से आने वाले प्रवेशार्थी सम्बन्धित संस्था का मूल प्रमाण-पत्र (माइग्रेशन सर्टीफिकेट) जमा कराना अनिवार्य होगा।
9. अन्तिम संस्था का स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (TC) की मूल प्रति।
10. अंतिम संस्था के संस्था प्रधान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र मूल।
11. पूरक परीक्षा योग्य प्रवेशार्थी पूरक परीक्षा घोषित अंक तालिका की प्रतिलिपि जमाकर अस्थाई प्रवेश प्राप्त करेंगे।
12. पूर्णत: स्वयंपाठी रहे प्रवेशार्थी जिन्होंने किसी भी संस्था में नियमित अध्ययन नहीं किया है वे 10 रुपये के स्टॉम्प पेपर पर नियमित अध्ययन न करने के शपथ पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूल जमा कराएंगे।

5. आवेदन में सही एवं स्पष्ट पूर्ति करने के पश्चात् आवश्यक मूल एवं प्रतिलिपियों के साथ आवेदन-पत्र कार्यालय में जमा करावें।
6. सभी मूल अंकतालिकाएं एवं प्रमाण-पत्र साथ में लायें सत्यापित करने के पश्चात् वांछित के अतिरिक्त अन्य मूल दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे।
7. प्रवेश के समय अनुपलब्ध प्रमाण-पत्रों के लिये प्रार्थना पत्र साथ में जमा कराएंगे। स्वीकृति प्राप्त होने पर एक निश्चित अवधि में जमा करना अनिवार्य होगा तब तक उन्हें अस्थाई प्रवेश प्राप्त होगा।

महाविद्यालय द्वारा संचालित सुविधाएं

(महाविद्यालय में परीक्षा केन्द्र)

- रोजगार सलाह (केरियर एडवाईस)
- कांउन्सलिंग ग्रुप
- प्रवेश के समय विषय चयन की सलाह
- छात्रावास सुविधा (छात्र व छात्रा अलग-अलग)
- एन.एस.एस. ईकाई
- आउट डोर-इनडोर खेलकूद
- पास आऊउविद्यार्थी का मार्गदर्शन
- पुस्तकालय
- कम्प्यूटर लैब
- कौशल परीक्षण एवं वर्धन कोर्स
- व्यक्तित्व विकास के प्रोग्राम
- केम्पस में साक्षात्कार का आयोजन
- विशेष प्लेसमेन्ट फेयर्स
- सेमिनार आयोजन

परीक्षा परिणाम

महाविद्यालय को अपने परीक्षा परिणामों पर गर्व हैं। गत सत्र में महाविद्यालय के परीक्षा-परिणाम उत्कृष्ट कोटि के रहे है, जो महाविद्यालय की पढ़ाई का द्योतक है। ये परीक्षा परिणाम महाविद्यालय के प्राध्यापकों की मेहनत, लगन व निष्ठा से अध्यापन का परिणाम है।

स्नातक कक्षाऐं

अनिवार्य विषय :-

प्रश्न पत्र : सामान्य हिन्दी, कम्प्यूटर, सामान्य अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन।

ऐच्छिक विषय **(B.A. Part-I)**

1. राजनीति शास्त्र 2. इतिहास 3. संस्कृत साहित्य 4. हिन्दी साहित्य 5. भूगोल 6. अंग्रेजी साहित्य

ऐच्छिक विषय **(B.A. Part-II)**

1. राजनीतिक शास्त्र 2. इतिहास 3. हिन्दी साहित्य 4. भूगोल 5. संस्कृत साहित्य 6. अंग्रेजी साहित्य

ऐच्छिक विषय **(B.A. Part-III)**

1. राजनीतिक शास्त्र 2. इतिहास 3. हिन्दी साहित्य 4. भूगोल 5. संस्कृत साहित्य 6. अंग्रेजी साहित्य

B.S.C. (Maths & Bio)

Maths ऐच्छिक विषय **- Maths, Physics, Chemistry**

Biology ऐच्छिक विषय **- Chemistry, Zoology, Botany**

M.A. 1. हिन्दी साहित्य 2. इतिहास 3. राजनीति शास्त्र 4. भूगोल

B.Sc., B.ed.
B.A., B.ed.
4 वर्षीय

B.ed. **2 वर्षीय**

R.S.C.I.T. Course

Skill Development Course

झलकियाँ

महाविद्यालय के स्थापना पर्व पर पूजा करते हुए अतिथिगण

महाविद्यालय के स्थापना पर्व पर
मंचासीन अतिथिगण

विश्व पर्यावरण दिवस पर
आयोजित सेमिनार

शिक्षक दिवस पर
सम्बोधित करते हुए अतिथिगण

गणतन्त्र दिवस पर नृत्य प्रस्तुत करती
महाविद्यालय की छात्राएं

संचालित
उत्कर्ष

Chart
Chart

Chart
Chart

शुल्क सम्बन्धी विशेष नियम

काशनमनी (रक्षित कोष) महाविद्यालय छोड़ने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के अन्तर्गत निर्धारित आवेदन पत्र भरकर प्राप्त की जा सकेगी। इसके पश्चात् यह राशि अदेय (लेप्स) हो जायेगी। काशनमनी स्वयं छात्र को पहचान-पत्र दिखाने पर ही मिलेगी, दूसरे अन्य किसी को देय नहीं होगी।

नोट : एक बार फीस जमा होने के बाद किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं दी जायेगी।

छात्रवृत्ति

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा देय छात्रवृत्ति।(स्वीकृत होने पर)

(2) निदेशालय कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा देय छात्रवृत्तियाँ(स्वीकृत होने पर)

(3) महिला प्रोत्साहन राशि(टी.ए.डी. विभाग द्वारा प्रद्धत्त)(स्वीकृत होने पर)

पुस्तकालय

पुस्तकालय किसी भी शिक्षण संस्था का मस्तिष्क होता है अत: उसका समृद्ध होना महाविद्यालय की शैक्षिक समृद्धि के लिए अपरिहार्य है। इस समय केन्द्रीय पुस्तकालय में प्रर्याप्त पुस्तकें हैं। अध्ययन ज्ञानार्जन व शोध की आवश्यकताओं को दृष्टिगत करते हुए पुस्तकालय में वेद-उपनिषद् से लेकर नवीनतक चर्चित पुस्तकों व शोध ग्रन्थों तथा पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित पुस्तकों एवं सामान्य रूचि तक की पुस्तकों को समाविष्ट किया गया है।विद्यार्थियों को चाहिए कि वे इस पुस्तकालय का अधिकाधिक उपयोग करें।

नियम

1. प्रत्येक छात्र को एक कार्ड पर दो पुस्तक मिलेगी।
2. एक छात्र वही पुस्तक उसी दिन दोबारा नहीं प्राप्त कर सकेगा।
3. निर्धारित अवधि से अधिक समय तक पुस्तक रखने की स्थिति में प्रतिदिन पुस्तक पर दो रूपये विलम्ब शुल्क देना होगा।
4. पुस्तक खोने, फट जाने अथवा उसे किसी प्रकार की हानि हो जाने की दशा में छात्र को वैसी ही पुस्तक उसके स्थान पर जमा करवानी होगी या दुगुनी कीमत देनी होगी।
5. पुस्तक को अपने नाम पर निर्गमित कराते समय छात्र को पुस्तक की दशा जांच कर लेनी चाहिए अन्यथा जमा कराते समय उसमें हुए नुकसान के लिए छात्र जिम्मेदार होगा।
6. प्रत्येक छात्र को अपने कार्ड्स मार्च के अंतिम सप्ताह में पुस्तकालय को लौटा देने होंगे।
7. पुस्तकालय की निर्गमित की गई पुस्तक आवश्यकता पड़ने पर पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय से पूर्व भी मंगवाई जा सकती है।
8. कतिपय, पुस्तकें जैसे-संदर्भ पुस्तकें, अति महत्वपूर्ण पुस्तकें, सजिल्द पत्रिकायें आदि निर्गमित नहीं किये जायेंगे।
9. परिचय पत्र दिखाने पर ही पुस्तकालय में प्रवेश करने दिया जायेगा।
10. पुस्तकालय में प्रविष्ठ होते समय निजी सामान जैसे छाता, थैला, निजी पुस्तकें आदि पुस्तकालय के बाहर ही रखने होंगे।
11. पुस्तकालय कार्ड्स अहस्तान्तरणीय हैं। विद्यार्थी को दिया गया कार्ड केवल उसके स्वयं के प्रयोग के लिए ही है।
12. पुस्तकालय कार्ड्स खो जाने पर उसकी सूचना तुरन्त पुस्तकालयाध्यक्ष को देनी होगी। कार्ड्स नहीं मिलने पर पुस्तकालयाध्यक्ष यदि उचित समझे तो 10 रुपये लेकर नया कार्ड जारी कर सकता है किन्तु खोये हुए कार्ड पर इश्यु होने वाली पुस्तकों की हानि के लिए छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा।
13. पुस्तकालय कार्ड्स कॉलेज पुस्तकालय की सम्पत्ति है। अतः कॉलेज छोड़ने अथवा विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व कार्ड्स अथवा अन्य पुस्तकालय सम्बन्धी देय राशि (ड्यूज) जमा कराके पुस्तकालयाध्यक्ष से ''अदेय प्रमाण-पत्र'' (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) लेना होगा।
14. पुस्तकालय की पुस्तकें वर्तमान विद्यार्थियों की ही नहीं अपितु भावी विद्यार्थियों की भी धरोहर है, अतः उनका सावधानी से उपयोग वांछनीय है।

वाचनालय

वाचनालय का नवनिर्मित बड़ा हॉल पूर्ण स्वच्छ एवं हवादार है। वाचनालय में विभिन्न प्रकार के दैनिक साप्ताहिक, मासिक पत्र-पत्रिकाएं नियमित रूप से आती रहती है। पत्रिकाएं प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित कर्मचारी के पास अपना परिचय-पत्र जमा कराना होगा। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने अतिरिक्त समय में शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठकर पत्र-पत्रिकाओं का अध्ययन करे अपने सामान्य ज्ञान का परिमार्जन व विकास करें।

यात्रा कन्सेशन नियम

महाविद्यालय में प्रविष्ठ छात्रों को दीर्घकालीन अवकाश में कॉलेज से घर व घर से कॉलेज आते-जाते समय रेल अथवा बस किराये में कन्सेशन मिलता है। इस संदर्भ में छात्र का घर उस स्थान को माना जायेगा जहाँ उसके माता-पिता या अभिभावक रहते हैं। जो प्रवेश-पत्र में लिखा है। कन्सेशन प्राप्त करने वाले छात्रों को यात्रा करने से एक सप्ताह पूर्व प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र प्रेषित करना होगा। छात्रों को निम्नांकित अवसर पर भी रेलवे कन्सेशपन की सुविधा प्राप्त हो सकती है-

1. किसी मान्यता प्राप्त टूर्नामेन्ट में खेलने जाने हेतु।
2. शैक्षिक भ्रमण हेतु।

परिचय-पत्र सम्बन्धी नियम

1. कॉलेज के प्रत्येक छात्र को अपना परिचय-पत्र रखना होगा जो प्रवेश के साथ कॉलेज द्वारा दिया जायेगा।
2. परिचय-पत्र पर छात्र को अपना पासपोर्ट साईज फोटो लगाना होगा जो छः माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
3. यह परिचय पत्र प्राचार्य के हस्ताक्षर के बाद ही मान्य होगा।
4. छात्र महाविद्यालय में अपने साथ परिचय-पत्र सदैव रखेंगे तथा महाविद्यालय में जब-जब मांगने पर छात्र को अपना परिचय पत्र दिखाना होगा।
5. परिचय-पत्र सिर्फ छात्र (स्वयं) के ही प्रयोग के लिए है। इसका दुरूपयोग करना अपराध है।
6. छात्र को इसे अपने पास सुरक्षित रखना चाहिये। खो जाने पर कॉलेज को सूचना देनी चाहिए।
7. विशेष स्थिति में छात्र द्वारा लिखित पत्र पर दूसरा (डुप्लीकेट) परिचय 30 रुपये अतिरिक्त शुल्क देने पर कॉलेज द्वारा दिया जायेगा।

विशेष

संस्था के नियमों आवश्यकता पड़ने पर प्राचार्य द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के संशोधन किया जा सकता है। संशोधित नियम सभी विद्यार्थियों पर तुरन्त प्रभाव से समान रूप से लागू माने जायेंगे।

पाठ्यत्तर गतिविधियाँ

1. राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.)

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई महाविद्यालय में कार्यरत हैं। इस योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों को समाज सेवा के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि विद्यार्थी राष्ट्र व समाज के प्रति अपने वास्तविक दायित्व व भूमिका का पहचान कर उसका निर्वहन कर सकें। वर्तमान में पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम ने इसे और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। इसमें भाग लेने वाले छात्रों को राज्य स्तर पर प्रमाण पत्र दिया जाता है। जिसका अत्यन्त महत्व है।

2. खेल-कूद सुविधाएँ

''स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।'' इसी भावना से प्रेरित होकर महाविद्यालय में फुटबाल, वॉलीबाल, बास्केटबाल, क्रिकेट, टेनिस, टेबल टेनिस, कबड्डी, खो-खो, शतरंज आदि खेलने की प्रचुर व श्रेष्ठ व्यवस्था की गई हैं। छात्रों को इसमें सम्मिलित होकर लाभान्वित होना चाहिए। प्रति वर्ष महाविद्यालय के विभिन्न दल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अन्तर्महाविद्यालय खेल-कूद प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस संस्था का खेलों में हमेशा ही विशेष रूझान रहा है। महाविद्यालय में प्रतिवर्ष खेल-कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता रहेगा व इसमें सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ एथलीट को महाविद्यालय द्वारा एक शानदार ट्राफी प्रदान की जायेगी तथा अपने श्रेष्ठ खिलाड़ियों को विशेष पुरस्कार दिया जायेगा।

3. छात्रावास

मेधावी एवं अनुशासित विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। गत वर्ष महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को पोशाक वितरित की गयी।

आचार संहिता एवं नियमावली

आचार संहिता

1. किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने व नौकरी पाने हेतु अच्छा आचरण/चरित्र प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। अत: महाविद्यालय के नियमों व व्यवस्थाओं का पालन करने वाले विद्यार्थियों को ही अच्छा चरित्र प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।
2. महाविद्यालय के फर्नीचर, बिजली फिटिंग, सैनेटरी फिटिंग, खिड़कियों के कांच आदि व अन्य सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना गम्भीर अपराध है। छात्र व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से ऐसी क्षति की भरपाई के लिए जिम्मेदार होगा।
3. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान वर्जित है।
4. महाविद्यालय के प्राध्यापकों व कर्मचारियों से शिष्टता पूर्ण व्यवहार करें।
5. विद्यार्थी खाली समय में पुस्तकालय एवं वाचनालय का नियमानुसार अधिकारिक प्रयोग करें।
6. महाविद्यालय सूचना-पट्ट को नियमित रूप से देखें। सूचना-पट्ट पर दी गई जानकारी छात्र को न होने पर जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
7. अपना परिचय-पत्र हमेशा साथ रखें तथा कॉलेज प्राध्यापक एवं कर्मचारियों के कहने पर दिखायें।
8. महाविद्यालय की दीवारों, खिड़कियों आदि पर कुछ न लिखें न ही कोई इश्तेहार चिपकायें।
9. प्रत्येक विद्यार्थी को एन.एस.एस., खेलकूद आदि गतिविधियों में से किसी एक में भाग लेना अनिवार्य है।
10. महाविद्यालय की मर्यादा व प्रतिष्ठा बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का कर्त्तव्य है।
11. कॉलेज उद्यान में फूल-पत्तियों को तोड़ना मना है।
12. प्राचार्य की अनुमति के बिना छात्रों द्वारा कोई सभा नहीं बुलाई जायेगी तथा न ही बाहर से किसी व्यक्ति को आमंत्रित किया जायेगा।
13. पूर्व छात्र यदि कक्षा में बैठना चाहे तो प्राचार्य की लिखित अनुमति लेकर फीस जमा करवाकर ही बैठेंगे।
14. सभी विद्यार्थी कॉलेज समारोहों, खेल-कूद प्रतियोगिताओं एवं उत्सवों में शांति और मर्यादा बनाये रखें।
15. महाविद्यालय परिसर हम सभी का है। इसे स्वच्छ एवं सुन्दर बनाये रखना हमारा पुनीत कर्त्तव्य है। अत: भवन की दीवारों व अन्य स्थानों पर पान की पीक, कागजों को इधर-उधर फेंकना, दरवाजों, खिड़कियों आदि पर कुछ लिखना ए सभ्य एवं सुसंस्कृत छात्र का कार्य नहीं है।
16. कक्षाओं से फर्नीचर बाहर बरामदें में नहीं निकालें।
17. समय बड़ा कीमती है। इसे व्यर्थ में न गवायें। रिक्त कालांश में इधर-उधर बरामदें में न घूमें। इससे अन्य कक्षाओं के अध्ययन में व्यवधान आता है। खाली समय का सदुपयोग वाचनालय में करें।

नियमावली

यदि कोई विद्यार्थी गम्भीर दुर्व्यवहार या जानबूझ कर कार्य की उपेक्षा करने का दोषी पाया गया तो प्राचार्य उसकी प्रवृत्ति और अपराध की गम्भीरता के बारे में जानकारी प्राप्त कर विद्यार्थी को निम्न दण्ड दे सकते हैं।

1. कम से कम 1 माह के लिए छात्र को निष्कासित कर सकते हैं।
2. कम से कम 6 माह व अधिकतम 1 शैक्षणिक सत्र के लिए छात्र को निष्कासित कर सकते हैं।
3. विद्यार्थी द्वारा दी जाने वाली परीक्षा के लिए छात्र को अयोग्य घोषित कर सकते हैं।
4. निष्कासित छात्र को निलम्बन अवधि या उसके बाद उस महाविद्यालय के प्राचार्य की अनुमति के बिना अन्य किसी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल सकेगा।

उपस्थिति

नियमित छात्र के लिए थ्योरी एवं प्रेक्टिकल में अलग-अलग न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति होगी। जो छात्र इस नियम को पूरा करने में असमर्थ होंगे वे यूनिवर्सिटी हैण्ड बुक के रूल 0-145 एवं 0-145 ए के नियमों से शासित होंगे। नियमों के अनुसार जो छात्र न्यूनतम उपस्थिति प्राप्त करने में असमर्थ रहता है उसे स्वयं पाठी (नॉन कॉलेजियट) के रूप में अलग से परीक्षा फीस जमा कराकर परीक्षा में बैठना होगा।

अतिरिक्त ध्यान रखने योग्य निर्देश

1. प्रवेश हेतु निर्धारित पात्रता प्रतिशत के आवेदन पत्रों को ही जमा किया जावेगा। निर्धारित पात्रता प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले आवेदन-पत्र जमा नहीं किय जायेंगे।

2. विद्यार्थियों के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अतः प्रवेश आवेदन पत्र एवं अण्डर टेकिंग प्रपत्र के साथ प्रत्येक विद्यार्थी से 1 पोस्ट कार्ड मय घर का पता लिखे हुए आवश्यक रूप से प्राप्त किये जावेगें तथा उपस्थिति सम्बन्धी सूचना विद्यार्थी के घर पर प्रेषित की जायेगी।

श्री गणपति शिक्षण एवं सेवा संस्थान द्वारा संचालित

उत्कर्ष महाविद्यालय एवं उत्कर्ष टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज

सन्दलाई बड़ी, सज्जनगढ़, बांसवाड़ा (राज.)

Mob.: 9828177604, 8306878902, 8875071738

NCTE एवं राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त

व

GGTU बांसवाड़ा से सम्बद्ध